संख्या- 130/2021/ई-105973/71-3-2021-

प्रेषक,

कुलदीप रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 11 अक्टूबर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर के लिए उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/688, दिनॉक 04-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि कुल रू0 295.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में निम्न उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्राविधानित धनराशि **रू0 295,00,000/- (रूपये दो करोड़ पन्चानवे लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	विभाग का नाम	उपकरणों का नाम	वांछित उपकरण संख्या	लागत 05वर्ष की वारण्टी सहित (रू0 लाख में)
1	सी0वी0टी0एस0 विभाग	एक्सट्रा कारपोरियल मेम्बरेन आक्सीजेनेशन (ईसीएमओ) सिस्टम विद 05 डिस्पोजेबल सेट	01	48.00
2	कार्डियोलॉजी विभाग	रोटाब्लेटर विद 10 डिस्पोजेब्लस सेट फार स्टैन्टिंग ऑफ कैल्शिफाइड आर्टी	01	40.00
3	सी0वी0टी0एस0 विभाग	हार्ट लंग मशीन विद हीटिंग कूलिंग मशीन	01	139.61
4	सी0वी0टी0एस0 विभाग	माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट	04 सेट	43.39
5	सी0वी0टी0एस0 विभाग	टेम्परेरी पेसमेकर	20	19.00
6	सी0वी0टी0एस0 विभाग	अन्य छोटे उपकरण	-----	05.00
			योग	295.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित अनुमोदित उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल के ही माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।
2. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
3. प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित निदेशक की होगी।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान में उपकरणों के क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
9. राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
10. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
13. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई है।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण का क्रय किये जाए। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता व उसका ऑडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय की जाने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चि0शि0/निदेशक की होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा

अनुसंधान-105-एलोपैथी-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीट्यूट-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-130 /2021/ई-105973(1)/71-3-2020, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।